XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 244–पीबीआर/13 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-4-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, गुलाबगंज जिला जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 45/अपील/2011–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11–12–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को प्रकरण में सुनवाई दिनांक को लिखित तर्क हेतु 10 दिवस का समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क पेश नहीं किए गए हैं । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । यह प्रकरण अनावेदक अनिल के संरक्षक को सुनवाई का अवसर देने के विरूद्ध पेश किया गया है । न्यायालय ने यह माना है कि अनिल की संपत्ति गलत हाथों में न जाये इसलिए सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है । उनका उक्त निष्कर्ष प्रकरण की स्थिति को देखते हुए औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक है । ऐसी स्थिति में उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार न होने यह पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है । 4– उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो सदस्य	

समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. पी.बी.आर. /निगरानी/13

R-244-PBR/13

अवधनारायण आ0 श्री प्रेमचन्द साहू
निवासी ग्राम बराई तहसील हुजूर
जिला भोपाल म0प्र0 ....आवेदक

विरूद्ध

अनिल आ0 श्री मथुरा प्रसाद जाति जैन
द्वारा-सरक्षंक राजेन्द्र सिहं आ0 श्री बाबूलाल जाति दागीं
निवासी ग्राम धनियाखेडी तहसील गुलाब
जिला विदिशा म0प्र0 ...अनावेदक

श्री प्रेम सिंह ठाकुर अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 8-1-13 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत 8-1-13

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा द्वारा उनके प्रकरण क्र0 45/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 11/12/12 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।